Part XXXI—चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन
[Verification of character and antecedents]

गोपनीय

संख्या—७/ सी० आर० —२-२०४/७७ का० २१२१७

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री मुकुन्द प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी (नाम से)

सभी उपायुक्त (नाम से)

पटना—१५, दिनांक २६ नवम्बर, १९७७

विषय :— चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अपने पत्रांक—२६(२२)/७७/डी (एयर–III) दिनांक ६-८-७७ द्वारा सूचित किया है कि भारतीय वायु सेना में भर्ती किये जानेवाले अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारियों/उपायुक्तों द्वारा भेजने में महीनों और किसी-किसी मामले में एक वर्ष से ऊपर विलम्ब होता है, जिससे उनकी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण आदि में काफी असुविधा होती है। कभी-कभी विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यार्थी को प्रशिक्षण के अग्रिम स्तर पर हटाने का भी प्रश्न उपस्थित हो जाता है जो ओथोरिटी एवं अभ्यार्थी दोनों के लिये एमबैरिसिंग (Embarrassing) हो जाता है।

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि आवेदकों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन जांचोपरान्त सम्बन्धित भारतीय वायु सेना कार्यालय को किसी भी स्थिति में ८ (आठ) सप्ताह अर्थात दो महीने के अन्दर निश्चित रूप से लौटा दिया जाय।

२—अपने जिले के आरक्षी अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को इससे अवगत करा दें ताकि उनके स्तर पर भी किसी तरह का बिलम्ब न हो।

३—इस पत्र की प्राप्ति की सूचना देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या— का० २१२१७ पटना—१५, दिनांक २६ नवम्बर, १९७७

प्रतिलिपि—अवर सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके पत्रांक २६ (२२)/७७/डी० (एयर–III) दिनांक ६-८-१९७७ के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के अपर सचिव

संख्या—७/ सी० आर०—२०२/७८का० ५१२०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी (नाम से)

सभी उपायुक्त

पटना—१५, दिनांक ८ मार्च, १९७८।

विषय :— भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक ६/सी० आर०–१०१/७७ का० १६७६ दिनांक १-२-७७ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ने मुख्य सचिव को सम्बोधित अपने अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या–१३०१२/२/७८-ए० आई० एस० (१) दिनांक १-२-७८ (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा सूचित किया है कि अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति दिये जाने वाले अभ्यार्थियों के संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट भेजने में अत्यधिक विलम्ब होता है। फलस्वरूप उनकी विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति एवं आवंटन में विलम्ब होता है तथा समय पर प्रशिक्षण कोर्स में वे भाग नहीं ले पाते हैं।

२—यह अत्यन्त आवश्यक है कि अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त किए जानेवाले अभ्यार्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारियों को लौटाने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाय। इस विषय को विशेष महत्व और प्राथमिकता देकर शीघ्रता से निपटारा किया जाय और आप स्वयं सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में ३० दिनों के अन्दर सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारी को निश्चित रूप से लौटा दिया जाय।

३—अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को भी समुचित अनुदेश दे दें तो उनके स्तर पर भी किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होने पाए।

४—इस पत्र की प्राप्ति की सूचना भी देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या—७/ सी० आर० —२०२/७८ का० ५१२० पटना—१५, दिनांक ८ मार्च, १९७८।

प्रतिलिपि—श्री आर० एन० चोपड़ा, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध-सरकारी पत्रांक १३०१२/२/७८-ए० आई० एस० (१) दिनांक १-२-७८ के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

हरि ना०

VOLUME—II

General Index for Reference

Subject	Part	Page Nos.
Character and antecedents, verification of—	XXXI	883–884
Members of Parliament/State Legislature : Arrest/Detention of— Relation between officers and—	XXIII	569-612
Petitions, memorials, representations etc, instructions for submission of—	XXVIII	846-856
Relaxation of Rules.	XXIV	613–615
Resettlement/Rehabilitation	XXV	616–618
Scheduled Castes/Tribes—	XXVI	
(A) Reservation in Govt. Services		619–802
(B) 'Kalavadhi' for promotion		803–842
Strike, counting of period of—	XXVII	842–846
Temporary posts and employees, making permanent –	XXIX	856 A-856 E
Transfer, Posting etc.	XXX	857–882